

2120
18/05/2022

पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

POWER GRID CORPORATION OF INDIA LIMITED

(A Government of India Enterprise)

CIN No. L40101DL1989GOI038121



Northern Region-1 Headquarters, SCO 5-10, Sector-16A, Faridabad, Haryana-121002

संदर्भ:पावरग्रिड/उ.क्षे.1/आर. टी. आई./2120/ 1066

दिनांक:10.05.2022

18/05/2022

सेवा में,

श्री संजय कुमार पुत्र श्री इलमचंद

C/o पुष्पा देवी, मकान न. 2/1406/137 B, नवीन नगर,

नियर शिव मंदिर, सहारनपुर -247001, मो. न.7060334492

विषय :आपके आर टी आई प्रार्थना पत्र दिनांक 23.04.2022 के संदर्भ में |

महोदय,

आपके आर. टी. आई. प्रार्थना पत्र दिनांक 23.04.2022 (स्पीड पोस्ट दिनांक 26.04.2022) जो कि पावरग्रिड फरीदाबाद कार्यालय में दिनांक 02.05.2022 को प्राप्त हुआ के संदर्भ में आपके द्वारा मांगी गई जानकारी संलग्न अनुलग्न -1 में निहित है | इस अनुसार आपको यह भी सूचित किया जाता है कि उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार जो भी चेक प्राप्ति स्लिप रिकार्ड में है उनकी प्रति संलग्न है अन्यथा कि चेक प्राप्ति स्लिप उपलब्ध नहीं है |

अपीलीय प्राधिकारी का विवरण

श्री ए.के. मिश्रा, कार्यकारी निदेशक (उ. क्षे.1) प्रथम अपीलीय प्राधिकारी

पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, उ. क्षे.1 मुख्यालय,

SCO बे. संख्या 5-10, सेक्टर -16A, फरीदाबाद (हरियाणा)-121002,

फोन न. 0129-2666301

धन्यवाद |

भवदीय

[राजेश वी.]

मुख्य महाप्रबंधक (पी. ई.एस. एम/परियोजना)

एवं अधिकृत सी पी आई ओ, पावरग्रिड, उ. क्षे. -1

फोन न.0129-2666305

OK

TREE COMPENSATION DETAILS OF 400KV ROORKEE SAHARANPUR TRANSMISSION LINE

Sr. No.	Name of farmer/ Fathers Name/ village/tehsil	Total Tree Compensation Paid (In Rs.)	Cheque No/ Name of Bank	Remarks
1	Sh. Ravindra Singh S/o Sh. Mohkam singh, Chehdi	1578450/=	27869/HDFC	Cheque receipt enclosed
2	Sh. Ankil Kumar S/o Sh. Man Singh/ Nandi Firojpur	1594630/=	28110/HDFC	Cheque receipt enclosed
3	Sh. Anuj S/o Sh. Tejpal, Nandi Firojpur	1797660/=	28112/HDFC	Cheque receipt enclosed
4	Sh. Charan Singh S/o Dalvir Singh, Nandi Firojpur	1210420/=	281124/HDFC	Cheque receipt enclosed
5	Sh. Dhannal, Netrapal, Omkar and Sitab singh S/o Sh. Pirthi, Nandi Firojpur	1167340/=	025185/HDFC	Cheque No and bank Name Mentioned
6	Sh. Sitab singh S/o Sh. Pirthi, Nandi Firojpur	1043140/=	025157/HDFC	Cheque No and bank Name Mentioned
7	Smt. Sunita W/o Sh. Anil Kumar, Nandi Firojpur	700000/=	025158/HDFC	Cheque No and bank Name Mentioned
8	Sh. Sushil Kumar S/o Satpal, Nandi Firojpur	1835800/=	025161/HDFC	Cheque No and bank Name Mentioned
9	Mod. Shahneed S/o Mod. Luf Ahmad, Kota	150100/=	28182/HDFC	Cheque receipt enclosed
10	Sh. Sudhaer S/o Sh. Sappter Singh, Kota	1975500/=	28185/HDFC	Cheque No and bank Name Mentioned
11	Sh. Sandeep Kumar S/o Santram, Kota	171280/=	28177/HDFC	Cheque receipt enclosed
12	Sh. Narendra Kumar S/o Lotiram, Kota	32980/=	28150/HDFC	Cheque receipt enclosed
13	Sh. Suresh Kumar S/o Sh. Sadhu Singh, Kota	2035280/=	28189/HDFC	Cheque No and bank Name Mentioned
14	Sh. Sandeep Kumar S/o Sh. Hukum Singh, Kota	222110/=	28177/HDFC	Cheque receipt enclosed

Note: The Photocopy of the cheques are not available in this office, however the available receipt of cheque are enclosed

S.K. Choudhary

1

प्राप्ति रसीद


श्री अशोक पुत्र/पुत्री/पत्नी संतोष निवासी धारा जनपद रायबरेली

ने पावरग्रिड से 400 के0 वी0 रुड़की-सहारनपुर विद्युत पारेषण लाईन के टावर सं- 2610-1 के नीचे लाइन कोरिडोर के कटने वाले/काटे गये प्रभावित वृक्षों के मुआवजे के रूप में, Heke बैंक का चेक सं- दिनांक 9.9.15 रु. 121280 रुपये रु. 121280/- प्राप्त कर लिया है। इस एकमुश्त मुआवजे की प्राप्ति के उपरान्त हमारा उपरोक्त लाईन के कार्य से सम्बंधित किसी प्रकार का वृक्षों के मुआवजे का भुगतान पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि० पर बाकी नहीं है।

मैं वचन देता हूँ कि मेरे खेत में भविष्य में कोई वृक्ष उपरोक्त लाईन को प्रभावित करने हेतु खड़ा नहीं रहेगा। अगर मेरे खेत में भविष्य में कोई वृक्ष अपने आप लाइन कोरिडोर (46 मीटर चौड़ाई, लाईन के मध्य से दोनों ओर 23 मीटर) में पैदा भी होते हैं, तो उन्हें पावरग्रिड बिना किसी मुआवजे भुगतान के काटने हेतु स्वतंत्र होगा। उपरोक्त वृक्ष मेरी भूमि में ही खड़े थे, उनका मैं अकेला स्वामी हूँ।

यह भूमि किसी अन्य को नहीं बेच रखी है और न ही इस पर कोई विवाद है, यदि कोई विवाद भविष्य में उत्पन्न होता है अथवा प्रतिकर गलत प्राप्त कर लिया जाता है, तो उसका प्रार्थी/प्रार्थीगण ब्याज सहित वापस कर देंगे और विवादित मामलों में जो भी सक्षम अधिकारी/न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया जायेगा वह प्रार्थी/प्रार्थीगण को मान्य होगा।

दिनांक 24.9.15


Sandeep Kumar
Sandeep Kumar

प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा

गवाह के हस्ताक्षर
1 जयशंकर
2 मोहन


रसोके0 चौहान / **S.K. Chauhan**
प्रबन्धक / Manager
पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
Power Grid Corporation of India Limited
400/220 के0वी0 उपकेंद्र पुहाना, रुड़की-247667
400/220 K.V. Substation Puhana, Roorkee-247667

2

प्राप्ति रसीद

पुत्र/पुत्री/पत्नी जतीपु अरुण निवासी ओरा जनपद हनुमानगढ़
ने पावरग्रिड से 400 के 0 वी 0 रुड़की-सहारनपुर विद्युत पारेषण लाइन के टावर सं 281026/1 के
लाइन कोरिडोर के काटने वाले/काटे गये प्रभावित वृक्षों के मुआवजे के रूप में, 1000 बैंक का
चेक सं 28182 दिनांक 19/9/15 रु. 1,00,000/- रुपये एक लाख पचास हजार
एक सौ मात्र प्राप्त कर लिया है। इस एकमुश्त मुआवजे की प्राप्ति के उपरान्त
हमारा उपरोक्त लाइन के कार्य से सम्बंधित किसी प्रकार का वृक्षों के मुआवजे का भुगतान पावरग्रिड
कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि० पर बाकी नहीं है।

मैं वचन देता हूँ कि मेरे खेत में भविष्य में कोई वृक्ष उपरोक्त लाइन को प्रभावित करने हेतु खड़ा
नहीं रहेगा। अगर मेरे खेत में भविष्य में कोई वृक्ष अपने आप लाइन कोरिडोर (46 मीटर चौड़ाई, लाइन के
मध्य से दोनों ओर 23 मीटर) में पैदा भी होते हैं, तो उन्हें पावरग्रिड बिना किसी मुआवजे भुगतान के
काटने हेतु स्वतंत्र होगा। उपरोक्त वृक्ष मेरी भूमि में ही खड़े थे, उनका मैं अकेला स्वामी हूँ।

यह भूमि किसी अन्य को नहीं बेच रखी है और न ही इस पर कोई विवाद है, यदि कोई विवाद
भविष्य में उत्पन्न होता है अथवा प्रतिकर गलत प्राप्त कर लिया जाता है, तो उसका प्रार्थी/प्रार्थीगण ब्याज
सहित वापस कर देंगे और विवादित मामलों में जो भी सक्षम अधिकारी/न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया
जायेगा वह प्रार्थी/प्रार्थीगण को मान्य होगा।

दिनांक 01/10/15



प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा

गवाह के हस्ताक्षर

1 राजकुमार
2 जतीपु अरुण



एसकेओ चौहान / C.K. Chauhan
प्रबन्धक / Manager
पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
Power Grid Corporation of India Limited
400/220 के 0 वी 0 उपकेंद्र पुराना, रुड़की-241067
400/220 K.V. Substation Purana, Roorkee-241067

3

प्राप्ति रसीद

मैं संदीप कुमार पुत्र/पुत्री/पत्नी इरुण सिंह निवासी कोरा जनपद खारगढ़
 ने पावरग्रिड से 400 के 0 वी 0 रुड़की-सहारनपुर विद्युत पारेषण लाईन के टावर सं 26/0-26/1 के
 नीचे लाइन कोरिडोर के कटने वाले /काटे गये प्रभावित वृक्षों के मुआवजे के रूप में, MDIC बैंक का
 चेक सं 28177 दिनांक 22/11/15 रु. 22,116/- रुपये SI. CID काटोरा एपार
59/09/15 प्राप्त कर लिया है। इस एकमुश्त मुआवजे की प्राप्ति के उपरान्त
 हमारा उपरोक्त लाईन के कार्य से सम्बंधित किसी प्रकार का वृक्षों के मुआवजे का भुगतान पावरग्रिड
 कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि० पर बाकी नहीं है।

मैं वचन देता हूँ कि मेरे खेत में भविष्य में कोई वृक्ष उपरोक्त लाईन को प्रभावित करने हेतु खड़ा
 नहीं रहेगा। अगर मेरे खेत में भविष्य में कोई वृक्ष अपने आप लाइन कोरिडोर (46 मीटर चौड़ाई, लाईन के
 मध्य से दोनों ओर 23 मीटर) में पैदा भी होते हैं, तो उन्हें पावरग्रिड बिना किसी मुआवजे भुगतान के
 काटने हेतु स्वतंत्र होगा। उपरोक्त वृक्ष मेरी भूमि में ही खड़े थे, उनका मैं अकेला स्वामी हूँ।

यह भूमि किसी अन्य को नहीं बेच रखी है और न ही इस पर कोई विवाद है, यदि कोई विवाद
 भविष्य में उत्पन्न होता है अथवा प्रतिकर गलत प्राप्त कर लिया जाता है, तो उसका प्रार्थी/प्रार्थीगण ब्याज
 सहित वापस कर देंगे और विवादित मामलों में जो भी सक्षम अधिकारी/न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया
 जायेगा वह प्रार्थी/प्रार्थीगण को मान्य होगा।

दिनांक 05/11/15



संदीप कुमार

प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा

गवाह के हस्ताक्षर

1 परीश

2 जिरीश कुमार

एस0के0
 प्रबन्धक / Manager
 पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
 Power Grid Corporation of India Limited
 400/220 के0वी0 उपकेंद्र फुलान, रुड़की-247661
 400/220 K.V. Substation Puaana, Roorkee-247661

5

16

प्राप्ति रसीद

मैं 23/7 पुत्र/पुत्री/पत्नी राम निवासी अ.स. जनपद हरियाणा
ने पावरग्रिड से 400 के 0 वी 0 रुड़की-सहारनपुर विद्युत पारेषण लाईन के टावर सं. 32/0-33/1 के
नीचे लाइन कोरिडोर के कटने वाले /काटे गये प्रभावित वृक्षों के मुआवजे के रूप में, 10 रु बैंक का
चेक सं. दिनांक 7.9.15 रु. 1797660 रुपये (सं. 1119 संतानक 6015)
रु. 10 रु 1119 प्राप्त कर लिया है। इस एकमुश्त मुआवजे की प्राप्ति के उपरान्त
हमारा उपरोक्त लाईन के कार्य से सम्बंधित किसी प्रकार का वृक्षों के मुआवजे का भुगतान पावरग्रिड
कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. पर बाकी नहीं है।

मैं वचन देता हूँ कि मेरे खेत में भविष्य में कोई वृक्ष उपरोक्त लाईन को प्रभावित करने हेतु खड़ा
नहीं रहेगा। अगर मेरे खेत में भविष्य में कोई वृक्ष अपने आप लाइन कोरिडोर (46 मीटर चौड़ाई, लाईन के
मध्य से दोनों ओर 23 मीटर) में पैदा भी होते हैं, तो उन्हें पावरग्रिड बिना किसी मुआवजे भुगतान के
काटने हेतु स्वतंत्र होगा। उपरोक्त वृक्ष मेरी भूमि में ही खड़े थे, उनका मैं अकेला स्वामी हूँ।

यह भूमि किसी अन्य को नहीं बेच रखी है और न ही इस पर कोई विवाद है, यदि कोई विवाद
भविष्य में उत्पन्न होता है अथवा प्रतिकर गलत प्राप्त कर लिया जाता है, तो उसका प्रार्थी/प्रार्थीगण ब्याज
सहित वापस कर देंगे और विवादित मामलों में जो भी सक्षम अधिकारी/न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया
जायेगा वह प्रार्थी/प्रार्थीगण को मान्य होगा।



दिनांक.....

प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा

गवाह के हस्ताक्षर

1

2

1907
SB
प्राप्तकर्ता S.K. Chauhan
प्रबंधक / Manager
पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
Power Grid Corporation of India Limited
400/220 के वी 0 उपकेंद्र पुहाना, रुड़की-247667
400/220 K.V. Substation Puhana, Roorkee-247667

5

प्राप्ति रसीद

में 20/11/17 पुत्र/पुत्री/पत्नी दलमीर सिंह निवासी गजदी जनपद सहारनपुर
 ने पावर ग्रिड से 400 के 0 वी 0 रुड़की-सहारनपुर विद्युत पारेषण लाईन के टावर सं 33/6-1 के
 नीचे लाइन कोरिडोर के कटने वाले/काटे गये प्रभावित वृक्षों के मुआवजे के रूप में, HDFC बैंक का
 चेक सं 38134 दिनांक 9.9.15 रु० 1810420/- रुपये गजदी लाल दत्त हजारी
चार साँ लाल प्राप्त कर लिया है। इस एकमुश्त मुआवजे की प्राप्ति के उपरान्त
 हमारा उपरोक्त लाईन के कार्य से सम्बंधित किसी प्रकार का वृक्षों के मुआवजे का भुगतान पावरग्रिड
 कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि० पर बाकी नहीं है।

मैं गमन देता हूँ कि मेरे खेत में भविष्य में कोई वृक्ष उपरोक्त लाईन को प्रभावित करने हेतु खड़ा
 नहीं रहेगा। अगर मेरे खेत में भविष्य में कोई वृक्ष अपने आप लाइन कोरिडोर (46 मीटर चौड़ाई, लाईन के
 मध्य से दोनों ओर 23 मीटर) में पैदा भी होते हैं, तो उन्हें पावरग्रिड बिना किसी मुआवजे भुगतान के
 काटने हेतु स्वतंत्र होगा। उपरोक्त वृक्ष मेरी भूमि में ही खड़े थे, उनका मैं अकेला स्वामी हूँ।

यह भूमि किसी अन्य को नहीं बेच रखी है और न ही इस पर कोई विवाद है, यदि कोई विवाद
 भविष्य में उत्पन्न होता है अथवा प्रतिकर गलत प्राप्त कर लिया जाता है, तो उसका प्रार्थी/प्रार्थीगण ब्याज
 सहित वापस कर देंगे और विवादित मामलों में जो भी सक्षम अधिकारी/न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया
 जायेगा वह प्रार्थी/प्रार्थीगण को मान्य होगा।



दिनांक 9.9.15

प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा

गवाह के हस्ताक्षर
G. S. ...

[Signature]
 एराउको वल्लभ / Mr. Ghoshan
 प्रबंधक / Manager
 पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
 Power Grid Corporation of India Limited
 400/220 कौ०वी० उपकेंद्र पुहाना, रुड़की-247667
 400/220 K.V. Substation Puhana, Roorkee-247667

(6)

प्राप्ति रसीद

में आंकित कुमार पुत्र/पुत्री/पत्नी मन सिंह निवासी मन्स जनपद मन्स
ने पॉवरग्रिड से 400 के 0 वी 0 रुड़की-सहारनपुर विद्युत पारेषण लाईन के टावर सं- 33/0-23/1 के
नीचे लाइन कोरिडोर के कटने वाले /काटे गये प्रभावित वृक्षों के मुआवजे के रूप में, IOB बैंक का
चेक सं- 28110 दिनांक 15.9.15 रु० 15,000 रुपये फाइव साइन्स मोराना
एच. ए. ए. ए. ए. ए. प्राप्त कर लिया है। इस एकमुश्त मुआवजे की प्राप्ति के उपरान्त
हमारा उपरोक्त लाईन के कार्य से सम्बंधित किसी प्रकार का वृक्षों के मुआवजे का भुगतान पॉवरग्रिड
कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि० पर बाकी नहीं है।

मैं वचन देता हूँ कि मेरे खेत में भविष्य में कोई वृक्ष उपरोक्त लाईन को प्रभावित करने हेतु खड़ा
नहीं रहेगा। अगर मेरे खेत में भविष्य में कोई वृक्ष अपने आप लाइन कोरिडोर (45 मीटर चौड़ाई, लाईन के
मध्य से दोनों ओर 23 मीटर) में पैदा भी होते हैं, तो उन्हें पॉवरग्रिड बिना किसी मुआवजे भुगतान के
काटने हेतु स्वतंत्र होगा। उपरोक्त वृक्ष मेरी भूमि में ही खड़े थे, उनका मैं अकेला स्वामी हूँ।

यह भूमि किसी अन्य को नहीं बेच रखी है और न ही इस पर कोई विवाद है, यदि कोई विवाद
भविष्य में उत्पन्न होता है अथवा प्रतिकर गलत प्राप्त कर लिया जाता है, तो उसका प्रार्थी/प्रार्थीगण ब्याज
सहित वापस कर देंगे और विवादित मामलों में जो भी सक्षम अधिकारी/न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया
जायेगा वह प्रार्थी/प्रार्थीगण को मान्य होगा।

दिनांक 15.9.15

प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा

गवाह के हस्ताक्षर

1 मन सिंह
2 21/9/15

प्रबन्धक / Manager
पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
Power Grid Corporation of India Limited
400/220 के 0 वी 0 उपकेंद्र पुहना, रुड़की-247667
400/220 K.V. Substation Puhana, Rohtak-247667

प्राप्ति रसीद

में मेरे पुत्र/पुत्री/पत्नी लोनी राय निवासी जोरा जनपद गोरखपुर
ने पावरग्रिड से 400 के 0 वी 0 रुड़की-सहारनपुर विद्युत पारेषण लाईन के टावर सं 2511-2611 के
नीचे लाइन कोरिडोर के कटने वाले/काटे गये प्रभावित वृक्षों के मुआवजे के रूप में, HOPR बैंक का
चेक सं 2818 दिनांक 9/9/11 रु. 32,980/- रुपये ए फली ए एडम 7111-
31611 प्राप्त कर लिया है। इस एकमुश्त मुआवजे की प्राप्ति के उपरान्त
हमारा उपरोक्त लाईन के कार्य से सम्बंधित किसी प्रकार का वृक्षों के मुआवजे का भुगतान पावरग्रिड
कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि० पर बाकी नहीं है।



मैं वचन देता हूँ कि मेरे खेत में भविष्य में कोई वृक्ष उपरोक्त लाईन को प्रभावित करने हेतु खड़ा
नहीं रहेगा। अगर मेरे खेत में भविष्य में कोई वृक्ष अपने आप लाइन कोरिडोर (46 मीटर चौड़ाई, लाईन के
मध्य से दोनों ओर 23 मीटर) में पैदा भी होते हैं, तो उन्हें पावरग्रिड बिना किसी मुआवजे भुगतान के
काटने हेतु स्वतंत्र होगा। उपरोक्त वृक्ष मेरी भूमि में ही खड़े थे, उनका मैं अकेला स्वामी हूँ।

यह भूमि किसी अन्य को नहीं बेच रखी है और न ही इस पर कोई विवाद है, यदि कोई विवाद
भविष्य में उत्पन्न होता है अथवा प्रतिकर गलत प्राप्त कर लिया जाता है, तो उसका प्रार्थी/प्रार्थीगण ब्याज
सहित वापस कर देंगे और विवादित मामलों में जो भी सक्षम अधिकारी/न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया
जायेगा वह प्रार्थी/प्रार्थीगण को मान्य होगा।

दिनांक 18/9/11


प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा

गवाह के हस्ताक्षर

1. 
2. 
गवाह


पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
Power Grid Corporation of India Limited
400/220 के 0 वी 0 उपकेंद्र पुराना, रुड़की-247667
400/220 K.V. Substation Puhana, Roorkee-247667

8

प्राप्ति रसीद

में रविन्द्रा दे पुत्र/पुत्री/पत्नी मोहन सिंह निवासी चंदरी जनपद हल्द्वारी
 ने पावरग्रिड से 400 के 0 वी 0 रुड़की-सहारनपुर विद्युत पारेषण लाईन के टावर सं 33/5-6 के
 नीचे लाइन कोरीडोर के कटने वाले/काटे गये प्रभावित वृक्षों के मुआवजे के रूप में, HDFC बैंक का
 चेक सं 27869 दिनांक 28/8/15 रु. 15,78,450/- रुपये ए प डे लाक 332224
हफ्त 211 के फ्या 15 प्राप्त कर लिया है। इस एकमुश्त मुआवजे की प्राप्ति के उपरान्त
 हमारा उपरोक्त लाईन के कार्य से सम्बंधित किसी प्रकार का वृक्षों के मुआवजे का भुगतान पावरग्रिड
 कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि० पर बाकी नहीं है।

मैं वचन देता हूँ कि मेरे खेत में भविष्य में कोई वृक्ष उपरोक्त लाईन को प्रभावित करने हेतु खड़ा
 नहीं रहेगा। अगर मेरे खेत में भविष्य में कोई वृक्ष अपने आप लाइन कोरीडोर में पैदा भी होते हैं, तो
 उन्हें पावरग्रिड बिना किसी मुआवजे भुगतान के काटने हेतु स्वतंत्र होगा। उपरोक्त वृक्ष मेरी भूमि में ही
 खड़े थे, उनका मैं अकेला स्वामी हूँ।

यह भूमि किसी अन्य को नहीं बेच रखी है और न ही इस पर कोई विवाद है, यदि कोई विवाद
 भविष्य में उत्पन्न होता है अथवा प्रतिकर गलत प्राप्त कर लिया जाता है, तो उसका प्रार्थी/प्रार्थीगण ब्याज
 सहित वापस कर देंगे और विवादित मामलों में जो भी सक्षम अधिकारी/न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया
 जायेगा वह प्रार्थी/प्रार्थीगण को मान्य होगा।

210 


प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा

दिनांक 28/8/15

गवाह के हस्ताक्षर

1 मोहन सिंह

2 मंजुषा देवी


 प्रबंधक / Manager
 पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
 Power Grid Corporation of India Limited
 400/220 के वी उपकेंद्र पुराना, जड़वा-247667
 400/220 K.V. Substation Purana, Jhansi-247667